

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 264 / 2021

वादीगण-

1. रूपेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
 2. जितेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
 3. दीलीप सिंह पुत्र रघुवीरसिंह
- जातियान-राजपूत निवासीगण- डेरोली, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रघुवीरसिंह पुत्र रतनसिंह
 2. संजु कंवर पुत्री रघुवीरसिंह
 3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।
- जातियान-राजपूत निवासीगण- डेरोली, तहसील जायल (नागौर)

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 17/12/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा डेरोली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 183 रकबा 1.6268 हैक्टेयर, खसरा नंबर 183/231 रकबा 1.6268 हैक्टेयर, खसरा नंबर 183/234 रकबा 1.6268 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण वादपत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित खेताय जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है जो पुस्तैनी बडेर की भूमि होने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हक अधिकार रहता रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने से व जन्म से हक अधिकार होने पर भी खातेदारी भूमि में नाम दर्ज नहीं होने तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

AW
रूपेन्द्र सिंह
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 29.11.2021 को ईकबाली जबाब प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्राम पंचायत रोहिणा में पेश किया जिसमें वादी रूपेन्द्रसिंह, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुवे। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। ईकबाली जबाब एवं वादी रूपेन्द्र तथा प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीरसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 संजुकंवर के साक्ष्य शपथ पत्र शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार स्वयं प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रूपेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, संजुकंवर पुत्री रघुवीरसिंह, रघुवीरसिंह पुत्र रतनसिंह के पेश हुवे साथ ही, जमाबन्दी ग्राम डेरोली तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 161 प्रदर्श-1, 162 प्रदर्श-2, 163-प्रदर्श-3 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब एवं स्वयं उपस्थिति के साथ साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफिक ईकबाली जबाब एवं साक्ष्य शपथ पत्र में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब सहमति से वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 29.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब एवं साक्ष्य शपथ पत्र पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त

खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 29.11.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा डेहरोली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से की नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खेत खसरा नं. 183, 183/231, 183/234 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीरसिंह के साथ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने सहखातेदारी की इस्तदुआ चाही है। अतः मौजा डेरोली के खेत खसरा नंबर 183, 183/231, 183/234 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीरसिंह के साथ सहखातेदार घोषित कर हम वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा डेरोली के खेत खसरा नंबर 183, 183/231, 183/234 में वादीगण संख्या 1 से 3 कमश रूपेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, दीलीप सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 संजु कंवर को प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीरसिंह पुत्र रतनसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



(रवीन्द्र कुमार)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :264/2021

वादीगण-

1. रूपेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह
3. दीलीप सिंह पुत्र रघुवीरसिंह

जातियान-राजपूत निवासीगण- डेहरोली, तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. रघुवीरसिंह पुत्र रतनसिंह
2. संजु कंवर पुत्री रघुवीरसिंह

जातियान-राजपूत निवासीगण- डेहरोली, तहसील जायल (नागौर)

3. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि - यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. यह है कि मौजा डेरोली के खेत खसरा नंबर 183, 183/231, 183/234 में वादीगण संख्या 1 से 3 कमश रूपेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, दीलीप सिंह व प्रतिवादी संख्या 2 संजु कंवर को प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीरसिंह पुत्र रतनसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

(रवीन्द्र कुमार) कलेक्टर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये
दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

17/12/2021
(रवीन्द्र कुमार) जायल
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)